



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-11012021-224333
CG-UP-E-11012021-224333

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 12]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 11, 2021/ पौष 21, 1942

No. 12]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 11, 2021/PAUSA 21, 1942

भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

अधिसूचना

नौएडा, 21 दिसम्बर, 2020

सं.14-भाअजप्रा/स्था./05/2019.— भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 1982) की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण एतद्वारा निम्नलिखित विनियमन बनाता है, अर्थात् :

I. सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

- ये विनियम भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति (उन्नीसवां संशोधन) विनियमन, 2020 कहे जाएंगे।
- ये भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

II. भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति विनियमन, 1992 में प्रविष्टि सं. 22, जो चपरासी/फराश/चौकीदार से संबंधित है, को मल्टी-टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) के पद द्वारा निम्नलिखित तालिका में दर्शाए अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे बैंड (पीबी) और ग्रेड पे (जीपी) / वेतनमान	क्या चयनित पद है अथवा अचयनित पद	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के तहत जोड़े गए वर्षों की सेवा का लाभ अनुमत्य है	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6	7
मल्टी-टास्किंग स्टाफ	35* *कार्यभार के अनुरूप परिवर्तनीय	समूह 'ग'	पे मैट्रिक्स का लेवल 1 (पूर्व संशोधित पीबी- रु. 5200-20200 + ग्रेड पे रु. 1800)	लागू नहीं	लागू नहीं	18 से 25 वर्ष की आयु के मध्य

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्ति पर लागू होती हैं	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	क्या सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती का तरीका तथा विभिन्न तरीकों के जरिए रिक्त पदों को भरे जाने का प्रतिशत क्या है	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड्स जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	पुष्टीकरण के लिए डीपीसी	परिस्थितियां, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है
8	9	10	11	12	13	14
अनिवार्य: मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण	लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	उप सचिव/निदेशक, सी.ए.ओ. और सहायक सचिव	लागू नहीं

कर्नल मनीष पाठक, सचिव
[विज्ञापन -III/4/असा./444/2020-21]

टिप्पणी :

भारत के राजपत्र में दिनांक 26.08.1992 को संख्या- 6-भाअजप्रा/स्था./4/90 के तहत प्रकाशित भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति विनियमन, 1992 मूल विनियमन हैं। दिनांक 09.07.1993, 15.07.1993, 10.09.1994, 14.08.2004, 11.03.2010, 19.02.2011, 05.11.2011, 16.06.2015, 17.06.2015, 04.12.2015, 16.03.2016, 22.03.2017, 02.08.2017, 06.10.2017, 13.12.2017, 17.01.2018, 10.05.2018 तथा 02.07.2018 को जारी अधिसूचनाओं के जरिए अनुवर्ती संशोधन किए गए।

INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

Noida, the 21st December, 2020

No. 14-IWAI/Estt./05/2019.—In exercise of the powers conferred by Section 35 of the Inland Waterways Authority of India Act, 1985 (1982 of 1985), with the previous approval of the Central Government, the Inland Waterways Authority of India hereby makes the following regulations viz :

I. GENERAL

1. Short Title and Commencement :

- (i) These regulations shall be called the Inland Waterways Authority of India Recruitment, Seniority and Promotion (Nineteenth Amendment) Regulations, 2020.
- (ii) They shall be deemed to have come into force from the date of publication in the Gazette of India.

II. In the Inland Waterways Authority of India Recruitment, Seniority and Promotion Regulations, 1992 entry no. 22 relating to Peon/Farash/Watchman shall be substituted as Multi-tasking Staff (MTS) as indicated in schedule as follows :—

Name of Post	No. of Post (s)	Classification	Pay Band (PB) and Grade Pay (GP)/ Pay Scale	Whether selection post or Non-Selection Post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS(Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruitment
1	2	3	4	5	6	7
Multi-Tasking Staff	35* *subject to variation depending on workload	Group-C	Level-1 in the pay matrix (Pre-revised PB- 5,200-20,200 + G.P. Rs. 1,800)	Not applicable	Not applicable	Between 18 and 25 years of age

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and Educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruits or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made.	DPC confirmation. for	Circumstances in which UPSC is to be consulted in marking recruitment
8	9	10	11	12	13	14
<u>Essential:</u> Matriculation or equivalent pass	Not applicable	Two years	By direct recruitment.	Not applicable.	Deputy Secretary/Director, C.A.O. and Assistant Secretary.	Not applicable

COL. MANISH PATHAK, Secy.

[ADVT. III/4/Ext./444/2020-21]

FOOT NOTE :

Inland Waterways Authority of India Recruitment, Seniority and Promotion Regulations, 1992, published in the Gazette of India on 26.08.1992, vide No. 6-IWAI/Estt./4/90 are the principal regulations. Subsequent amendments carried out vide Notifications dated 09.07.1993, 15.07.1993, 10.09.1994, 14.08.2004, 11.03.2010, 19.02.2011, 05.11.2011, 16.06.2015, 17.06.2015, 04.12.2015, 16.03.2016, 22.03.2017, 02.08.2017, 06.10.2017, 13.12.2017, 17.01.2018, 10.05.2018 and 02.07.2018.